



प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 03.09.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 03.09.2025 को निम्न अभियोगों में सजा करायी गयी है।

1. थाना इकदिल

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को मा0 न्याया0 द्वारा 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्याया0 इटावा द्वारा 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 1,000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.09.2003 को थाना इकदिल क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त द्वारा चोरी की योजना बनाते हुए पकड़े जाने के सम्बन्ध में थाना इकदिल पर मु0अ0सं0-188/2003 धारा 401 भादवि में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण में सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 श्यामपाल व एवं मानीटरिंग टीम व एपीओ श्री संजय सिंह द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 03.09.2025 को अन्तर्गत धारा 401 भादवि में मा0 न्याया0 एसीजेएम-5 इटावा द्वारा अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. शराबी खाँ पुत्र मुंशी खाँ नि0 पखनपुरा थाना पचोकरा जनपद फिरोजाबाद

2. थाना भरथना

इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते 01 अभियुक्त को 03 अलग-अलग अभियोगों में कुल 05 वर्ष का कारावास व 9,000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भरथना, मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये 01 अभियुक्त को मा0 न्याय0 द्वारा 03 अलग-अलग अभियोगों में कुल 05 वर्ष का कारावास व 9,000/- रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.09.2015 को थाना भरथना क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा वादी को रोककर मारपीट करना व पैसे व मोटरसाइकिल छीन लेने के सम्बन्ध में थाना भरथना पर मु0अ0सं0-389/2015 धारा 392 भादवि व बढोत्तरी धारा 411 भादवि में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 03.09.2025 को अन्तर्गत धारा 392/411 भादवि में मा0न्याया0 एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

3. थाना भरथना

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.10.2015 को थाना भरथना क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर पकडे जाने के भय से जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना भरथना पर मु0अ0सं0-395/2015 धारा 307 भादवि व 10/12 द0प्र0क्षे0 अधि0 में पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 03.09.2025 को अन्तर्गत धारा 307/34 भादवि व 10/12 द0प्र0क्षे0 अधि0 में मा0न्याया0 एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष का कारावास व 4,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

4. थाना भरथना

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 01.10.2015 को थाना भरथना क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद होने के सम्बन्ध में थाना भरथना पर **मु0अ0सं0 397/2015 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार का0 संजय साहू व एवं मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.09.2025 को अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में **मा0न्याय0 एडीजे-3/डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त नीलू को 02 वर्ष का कारावास व 1,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. नीलू पुत्र प्रताप सिंह नि0 पुराना भरथना थाना भरथना जनपद इटावा